Prabhat

Khabar,

Ranchi

जनता को तकलीफ देकर राजस्व बढ़ाने की न सोचें

कार्यशाला में अपनी बात रखते नगर विकास सचिव अरुण कुमार सिंह.

वरीय संवाददाता ▷ रांची

- प्रोजेक्ट भवन में शहरी निकायों की राजस्व वृद्धि पर आयोजित कार्यशाला में बोले सीपी सिंह

नगर विकास मंत्री सीपी सिंह ने कहा है कि शहरी निकायों को मजबूत बनाने के लिए सरकार हर संभव सहयोग कर रही है. शहरी निकायों के लिए राजस्व जरूरी है. परंतु, ध्यान रखना चाहिए कि राजस्व बढ़ाने के चक्कर में जनता को तकलीफ नहीं हो. नगर निकायों का गठन आम लोगों की सुविधाओं के लिए किया गया है. निकायों को क्षेत्र में सुविधाएं बढ़ाने पर भी ध्यान देना चाहिए. श्री सिंह प्रोजेक्ट भवन में निकायों की राजस्व वृद्धि पर आयोजित राज्य स्तरीय कार्यशाला में बोल रहे थे. कार्यशाला में नगर विकास सचिव अरुण कुमार सिंह, रांची के नगर आयुक्त शांतनु अग्रहरि व धनबाद के नगर आयुक्त मनोज कुमार भी शामिल थे.

रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करें : श्री सिंह ने कहा कि निकायों को जनहित में योजनाएं लागू करने पर ध्यान देना चाहिए. जनता से वसूले गये टैक्स का उपयोग जनता के लिए ही होना सुनिश्चित किया जाना चाहिए. नगर विकास सचिव ने कहा कि सरकार निकायों के राजस्व में वृद्धि के लिए प्रत्यनशील है. निकायों को भी इस पर ध्यान देना होगा. अपने रिसोर्स का बेहतर इस्तेमाल करना होगा. कार्यशाला में राज्य के 41 निकायों के कार्यकारी अधिकारियों और आयुक्तों ने हिस्सा लिया. निकायों के प्रदर्शन और राजस्व वृद्धि पर चर्चा की गयी. राजस्व वसूली में निजी एजेंसियों की भागीदारी पर भी बातें हुईं. बताया गया कि 21 जुलाई को राजस्व के लिए पीएमयू की नियुक्ति की गयी थी. उसके बाद से संग्रह क्षमता में 15 फीसदी का इजाफा हुआ है. 60 करोड़ रुपये लक्ष्य के मुकाबले 20.50 करोड़ रुपये की वसूली कर गयी है. यह निर्धारित लक्ष्य का 34 प्रतिशत है. इसके अलावा वाणिज्यिक संपत्तियों को देने में भी 100 फीसदी से अधिक की वृद्धि हुई है. इससे निकायों की संपत्ति में 13 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गयी है. कार्यशाला के दौरान भारत भर में रिसोर्स मॉबलाइजेशन के लिए किये जा रहे प्रयासों पर चर्चा की गयी. निकायों की कर वसूली में की जा रही पहल पर भी विमर्श किया गया. कार्यशाला में जुडको, सूडा के पदाधिकारियों के अलावा अरुण कुमार रतन, बीके चौबे समेत अन्य अधिकारी उपस्थित थे.

Hindustan, Ranchi

नगर विकास सचिव ने नगर निकायों को जारी किया फरमान

होल्डिंग टैक्स नहीं दिया तो संपत्ति जब्त

रांची | हिन्दुस्तान ब्यूरो

होल्डिंग टैक्स नहीं चुकानेवाले शहरियों के लिए खतरे की घंटी है। अब नगर निगम या दूसरे नगर निकाय उनकी संपत्ति जब्त करेंगे। यह फरमान नगर विकास सचिव अरुण कुमार सिंह ने नगर निकायों को जारी किया है।

नगर विकास सचिव ने कहा है कि होल्डिंग टैक्स वसूली के लिए आयकर विभाग का भी सहयोग लिया जाएगा। उन्होंने अधिकारियों से आधार नंबर के सहारे बैंक खातों की पहचान कर भी उन पर रोक लगाने का निर्देश दिया। नगर विकास सचिव परियोजना भवन सभागार में आयोजित नगर निकायों के पदाधिकारियों की कार्यशाला में बोल रहे थे। यह कार्यशाला नगर निकायों के आय का स्रोत बढ़ाने के लिए आयोजित की गई थी। इसमें नगर निकायों का राजस्व बढ़ाने के लिए कई विशेषज्ञ वक्ताओं ने विचार व्यक्त किए।

गड़बड़ी करने वालों को भेजेंगे जेल

: सचिव ने कहा कि प्रदेश में होल्डिंग टैक्स वसूलने के लिए लगाई गई कंपनियों ऋतिका और स्पैरो सॉफ्टटेक के कर्मचारियों के बीच पैसे के लेन-देन का खेल चल रहा है। ऐसे लोगों को पुलिस के हवाले किया जाएगा। इन कंपनियों के कर्मचारी रिश्वत लेकर होल्डिंग टैक्स का गलत आकलन कर रहे हैं।

बंगाल में मोबाइल टावर का शुल्क दो लाख, झारखंड में 20 हजार: कार्यशाला में आए नगरीय राजस्व के विशेषज्ञों ने कई चौंकाने वाली जानकारी दी। रोशन जैन ने बताया कि नगर निकायों के राजस्व का प्रमुख स्रोत मोबाइल टावर का सालाना शुल्क पश्चिम बंगाल में दो लाख और झारखंड में 20 हजार है। बेंगलुरू नगर निगम टेलीफोन केबुल बिछाने का शुल्क सालाना एक लाख 20 हजार रुपया प्रति किलोमीटर लेता है। झारखंड में शुल्क नहीं लिया जाता है।

तथ्य और आंकड़े

30 लाख लगभग घर हैं पूरे प्रदेश में

09 लाख घरों के आंकड़े शहरों में हैं दर्ज

फरमान

- नगर विकास सचिव ने नगर निकायों को जारी किया फरमान
- बकाएदारों के बैंक खातों पर भी लगेगी रोक

मंत्री मुखर

नगरीय सुविधाओं को बढ़ाए बिना हमें राजस्व लेने का नैतिक अधिकार नहीं है। हमें राजस्व लेने से पहले विसंगतियों को भी दूर करना होगा। निगम मेंऑनलाइन राजस्व जमा नहीं हो पाता है। ऐसे में कौन जिम्मेवार है।

-सीपी सिंह, नगर विकास मंत्री

कैसे आत्मनिर्भर बने नगर निकाय

कमजोर कर संग्रहण के कारण प्रदेश के नगर निकायों की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। अगर इस पर काबू नहीं पाया गया, तो विकसित आधारभूत संरचनाओं का समुचित उपयोग नगर निकायों की ओर से नहीं किया जा सकेगा।